	03-10-23 आज पत्रावली पेश हुई के आज इस प्रकरण के अंतर्गत पुर्व पद प्रार्थी / वादी प्रेमचन्द के वाग्पत्र	

पर not press में खारीज किया गया है। अतः इस प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं रह गया है। पत्रावली not press में खारीज की जाती है। फैसला हुक्म होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल मुत दाद रहे। सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०